# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

## मिशन शक्ति बुलेटिन-V

## *मिशन शक्ति 5.0 के तहत- महिलाओं व बच्चों को उनके अधिकारों व हेल्पलाइन सेवाओं के प्रति किया जागरूक।*

**दिनांक-03.06.2026**

***थाना काकोरी की टीम ने मिशन शक्ति के अंतर्गत सर्राफा बाजार कस्बा काकोरी क्षेत्र में महिलाओं, छात्राओं एवं बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा प्रोटोकॉल, यातायात, साइबर अपराध तथा 1090, 181, 112, 1930 जैसी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन सेवाओं के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए किया जागरूक।***

थाना काकोरी की टीम ने एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस पहल के द्वारा टीम ने गली-मोहल्लों में महिला सशक्तिकरण का संदेश पहुँचाते हुए स्थानीय महिलाओं, छात्राओं और बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। यह प्रयास महिला सुरक्षा के नए सफर का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो 'पिंक बूथ' की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और समुदाय में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की **पिंक बूथ** एक प्रमुख पहल प्रदेश भर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए  एक महत्वपूर्ण कदम है। यह **पिंक बूथ** उन सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

**आयोजक**

- **महिला आरक्षी रमाकान्ती,** थाना **काकोरी** लखनऊ कमिश्नरेट
- **महिला आरक्षी अनीता सिंह,** थाना **काकोरी** लखनऊ कमिश्नरेट
- सर्राफा बाजार कस्बा काकोरी क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

**प्रतिभाग-**

- **महिला आरक्षी रमाकान्ती,** थाना **काकोरी** लखनऊ कमिश्नरेट
- **महिला आरक्षी अनीता सिंह,** थाना **काकोरी** लखनऊ कमिश्नरेट
- सर्राफा बाजार कस्बा काकोरी क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

## कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान एवं उच्चाधिकारीगण द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में आज दिनांक **03.06.2026** को थाना काकोरी क्षेत्रांतर्गत **पिंक बूथ-85** की महिला पुलिस टीम द्वारा सर्राफा बाजार कस्बा काकोरी क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया।

अभियान के दौरान महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, महिला सुरक्षा सेवाओं एवं पुलिस सहायता प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही महिलाओं को राज्य सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबरों जैसे **1090, 181, 112, 1098, 1930, 1076, 102 एवं 108** आदि के बारे में जागरूक करते हुए आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

महिला पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, सोशल मीडिया सुरक्षा, महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़ एवं आत्मरक्षा के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को एंटीरोमियो टीम, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ एवं महिला सहायता सेवाओं के बारे में अवगत कराया गया।

जागरूकता अभियान में शामिल पुलिस टीम अभियान के दौरान उपस्थित महिलाओं को सुरक्षा संबंधी पम्पलेट वितरित कर महिला सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूक किया गया। कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु लगातार जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

## महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर

***महिला अपराध, साइबर अपराध एवं आपात स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संसाधन***

- **1090 (महिला पावर लाइन):** महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत के लिए प्रमुख हेल्पलाइन।
- **112 (आपातकालीन सेवाएं):** किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन के लिए एकीकृत नंबर।
- **108 (एम्बुलेंस सेवा):** तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए।
- **1098 (चाइल्डलाइन):** बच्चों से जुड़ी किसी भी समस्या या संकट के लिए।
- **1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन):** सामान्य सहायता और जानकारी के लिए।

***डिजिटल संसाधन एवं पोर्टल***

- **साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** साइबर धोखाधड़ी, हैकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न आदि की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आधिकारिक पोर्टल।
- **यूपी कॉप ऐप (UP COP App):** उत्तर प्रदेश पुलिस का मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से त्वरित सहायता, लोकेशन शेयरिंग और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

## पिंक बूथ टीम की भूमिका:

पिंक बूथ आमतौर पर पुलिस या महिला हेल्पलाइन से जुड़ी होती है। उनका सीधा संपर्क राहगीरों से होना एक प्रभावी तरीका है ताकि आम जनता, विशेष रूप से महिलाएं और युवतियां, सीधे तौर पर जानकारी हासिल कर सकें और अपनी समस्याओं को साझा कर सकें।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

## मिशन शक्ति बुलेटिन-IV

**दिनांक- 03.06.2026**

**मिशन शक्ति 5.0-समाज की नई चेतना, साइबर सुरक्षा है अब हमारी जिम्मेदारी!"**

**थाना कृष्णानगर द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत सिंधी गर्ल्स कॉलेज सीएमएस तिराहा पर जाकर महिलाओं और बच्चों को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, साइबर अपराध, यातायात और महिला कल्याण योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देकर किया जागरूक।**

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही बहुप्रशंसित योजना **"मिशन शक्ति 5.0"** के तहत आज दिनांक **12 अक्टूबर 2025** को लखनऊ कमिश्नरेट के थाना कृष्णानगर मिशन शक्ति टीम द्वारा कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में, थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत सिंधी गर्ल्स कॉलेज सीएमएस तिराहा पर जाकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

### आयोजक/आयोजन स्थान -

- महिला उपनिरीक्षक निशा , थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- महिला मुख्य आरक्षी मंजू, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- महिला आरक्षी सुमन, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत सिंधी गर्ल्स कॉलेज सीएमएस तिराहा

### प्रतिभागी: -

- महिला उपनिरीक्षक निशा, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- महिला मुख्य आरक्षी मंजू, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- महिला आरक्षी सुमन, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- आरक्षी मनीष, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- पिंक पेट्रोल व एन्टीरोमियो टीम, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना कृष्णानगर क्षेत्रान्तर्गत सिंधी गर्ल्स कॉलेज सीएमएस तिराहा पर जाकर महिलाएं व बच्चों को जागरूक किया गया।

### कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:

दिनांक 03.06.2026 को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत लखनऊ कमिश्नरेट के थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत सिंधी गर्ल्स कॉलेज सीएमएस तिराहा पर जाकर महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं एवं बच्चों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया। इनमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, वीमेन पावर लाइन-1090, इमरजेंसी सेवा-112, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर अपराध हेल्पलाइन-1930, एंबुलेंस सेवा-102 एवं इमरजेंसी एंबुलेंस सेवा-108 के उपयोग एवं महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया।

इसके अतिरिक्त थाना कृष्णानगर में संचालित महिला सुरक्षा केंद्र एवं महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली और उनकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या, उत्पीड़न अथवा शिकायत की स्थिति में वे बिना किसी संकोच के पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी साझा की गई, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक किया गया। पुलिस टीम द्वारा महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे आने, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन सेवाओं का तत्काल उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

## मुख्य बिंदु:-

- थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा अवध चौराहे पर मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- महिलाओं एवं बच्चों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों एवं महिला सुरक्षा संबंधी सेवाओं की जानकारी दी गई।
- महिला सुरक्षा केंद्र एवं महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली से महिलाओं को अवगत कराया गया।
- महिलाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया।
- कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को जागरूक कर महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण का संदेश दिया गया।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

## मिशन शक्ति बुलेटिन-II

**"मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज,मिशन शक्ति का यही प्रयास"**

**थाना माल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अऊमऊ  थाना माल लखनऊ में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों,सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।**

दिनांक-03.06.2026

**लखनऊ, दिनांक: 22 अक्टूबर, 2025** - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना माल क्षेत्र में मंगलवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

***आयोजन/आयोजन स्थल-***

- ✓ म0उ0नि0 सपना देवी  थाना माल कमि0 लखनऊ
- ✓ थाना **माल क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गत **ग्राम अऊमऊ  थाना माल लखनऊ** में मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ।

**आयोजक टीम-**

- म0उ0नि0 सपना देवी थाना माल कमि0 लखनऊ
- 
- थाना माल के अन्य महिला कर्मचारी उपस्थित रहे।

**कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-**

थाना **माल क्षेत्र,** लखनऊ के अंतर्गत **ग्राम अऊमऊ  थाना माल लखनऊ** में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके **कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों, सरकारी योजनाओं** एवं **आत्मरक्षा के तरीकों** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं।

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप** का उपयोग

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे**, **फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट**, एवं **एंटी रोमियो स्क्वॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

**मुख्य जागरूकता बिंदु:-**

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **"गुड टच" और "बैड टच"** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा** हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं** से संबंधित जानकारी दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्फलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।**

**उद्देश्य एवं महत्व-**

मिशन शक्ति 5.0 अभियान न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास करा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रख रहा है।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

## मिशन शक्ति बुलेटिन-III

**मिशन शक्ति 5.0-"जागरूकता जगाएं, मिशन शक्ति से जुड़ें, सुरक्षित और सशक्त समाज बनाएं।"**

**थाना बंथरा पुलिस टीम द्वारा ग्राम दयाल खेड़ा में जाकर महिलाओं/बच्चों एवं पुरुषों को मिशन शक्ति के तहत साइबर अपराध, हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर अपराध व अपराध से बचाव को लेकर किया गया जागरूक।**

**दिनांक- 03.06.2026**

**मिशन शक्ति 5.0** के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना बंथरा द्वारा मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

**आयोजक/ अयोजन स्थल**

- महिला उपनिरीक्षक सीमा सिंह, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक रमेश चन्द्र , थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी आरती त्रिपाठी, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- ग्राम मिर्जापुर थाना बंथरा लखनऊ में

**प्रतिभाग-**

- महिला उपनिरीक्षक सीमा सिंह, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक रमेश चन्द्र, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी आरती त्रिपाठी, थाना बंथरा, लखनऊ कमिश्नरेट
- ग्राम मिर्जापुर थाना बंथरा लखनऊ में भ्रमणशील होकर महिलाओं एवं छात्राओं को जागरूक किया गया।

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-**

आज दिनांक **03.06.2026** को थाना बंथरा, लखनऊ के ग्राम दयालखेडा अंतर्गत भ्रमण कर **मिशन शक्ति** अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान टीम ने महिलाओं और बालिकाओं के बीच पहुंचकर उन्हें **महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और साइबर अपराधों** से बचाव के प्रति सचेत किया।

किसी भी आकस्मिक परिस्थिति या सहायता हेतु महिलाओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे **1090 (वूमेन पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) और 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन)** के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्हें ये नंबर नोट भी कराए गए। इसके साथ ही, महिलाओं को पिंक बूथ की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक किया गया ताकि वे बिना किसी संकोच के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। साइबर सुरक्षा के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिससे वे डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षित रह सकें और निडर होकर समाज में अपनी भूमिका निभा सकें।।

**मिशन शक्ति 5.0 के तहत स्थापित पिंक बूथ का मुख्य उद्देश्य-**

महिलाओं और बच्चों के लिए एक विशेषज्ञ, संवेदनशील और अनुकूल सहायता केंद्र प्रदान करना है, जहाँ वे आसानी से पहुँच सकें और बिना किसी झिझक या भय के अपनी समस्याओं व शिकायतों को दर्ज करा सकें। इसे विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है:

1. महिला-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना: पिंक बूथ को एक ऐसा स्थान बनाना जहाँ महिलाएँ और बच्चे स्वयं को सुरक्षित और सहज महसूस करें। यह पारंपरिक पुलिस थानों की तुलना में कम डरावना और अधिक सहायक माहौल प्रदान करता है।
2. विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्यबल: इन बूथों पर महिला पुलिस कर्मी तैनात की जाती हैं, जिन्हें महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों, मनोवैज्ञानिक समर्थन और संवेदनशील संचार में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. तत्काल हस्तक्षेप और कार्रवाई: ये बूथ शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। इन्हें मिशन शक्ति के अन्य घटकों जैसे एंटी-रोमियो स्क्वाड, महिला सुरक्षा केंद्र और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों (1090, 112, 181 आदि) से सीधे जोड़ा जाता है, ताकि तुरंत सहायता भेजी जा सके।
4. जागरूकता और रोकथाम: पिंक बूथ न केवल प्रतिक्रियात्मक हैं, बल्कि सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। इनके माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है।
5. डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा: महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराधों (जैसे- ऑनलाइन उत्पीड़न, फ़िशिंग आदि) के खतरों से बचाव के तरीकों और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना भी इनका एक उद्देश्य है।

पिंक बूथ का उद्देश्य पुलिस प्रणाली में महिलाओं के प्रति विश्वास और पहुँच बढ़ाना है। यह केवल एक शिकायत केंद्र नहीं, बल्कि एक समर्पित सहायता प्रणाली है जो महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाता है।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

## मिशन शक्ति बुलेटिन-I

**दिनांक- 03.06.2026**

**मिशन शक्ति 5.0 मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को सुरक्षा और हेल्पलाइन की जानकारी देकर सशक्त बनाया।**

**थाना जानकीपुरम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत सेक्टर-एफ जानकीपुरम में महिलाओं एवं बच्चों को महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों, साइबर अपराधों से बचाव तथा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जानकारी देकर किया जागरूक।**

मिशन शक्ति 5.0 की यह पहल सामुदायिक पुलिसिंग और "सुरक्षा, शिक्षा, सशक्तिकरण" के सिद्धांत पर आधारित एक मजबूत एवं सर्वांगीण कार्ययोजना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसका मूल उद्देश्य न केवल कानून-व्यवस्था कायम रखना है, बल्कि एक सतत एवं सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना है। यह पहल सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता फैलाकर, शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग बनाकर, तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों, को सशक्त बनाकर एक सुरक्षित, जागरूक और स्वावलंबी नागरिक समाज के निर्माण की दिशा में एक मजबूत आधारशिला रख रही है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

### आयोजक/आयोजन स्थल-

- महिला उपनिरीक्षक शिवानी वर्मा थाना जानकीपुरम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
- महिला आरक्षी कमलेश कुमारी थाना जानकीपुरम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना जानकीपुरम क्षेत्र के सेक्टर-एफ जानकीपुरम लखनऊ

### प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक शिवानी वर्मा थाना जानकीपुरम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
- महिला आरक्षी कमलेश कुमारी थाना जानकीपुरम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
- थाना जानकीपुरम क्षेत्र के सेक्टर-7 में महिलाएं एवं बच्चों को जागरुक किया गया।

### कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 03.06.2026 को उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में संचालित **मिशन शक्ति 5.0** एवं **महिला सशक्तीकरण अभियान** के अंतर्गत थाना जानकीपुरम की मिशन शक्ति टीम द्वारा सक्रिय जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान **उपनिरीक्षक शिवानी वर्मा** मय **पिंक स्कूटी फर्स्ट** टीम के साथ थाना क्षेत्र के **सेक्टर-एफ, जानकीपुरम, लखनऊ** में पहुंचकर **"ऑपरेशन पहचान"** अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न सुरक्षा एवं जनकल्याणकारी विषयों के संबंध में जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को मकान मालिकों द्वारा **किरायेदार सत्यापन** कराने के महत्व, **घरेलू हिंसा**, **दहेज उत्पीड़न**, महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें साइबर अपराधों से बचाव हेतु **साइबर फ्रॉड**, **फर्जी कॉल**, **ऑनलाइन ठगी** आदि के संबंध में सावधानियां बताते हुए जागरूक किया गया।

इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न आपातकालीन एवं सहायता हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर उनका तत्काल उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। जिनमें **महिला हेल्पलाइन-1090**, **पुलिस आपातकालीन सेवा-112**, **चाइल्ड हेल्पलाइन-1098**, **मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076**, **एम्बुलेंस सेवा-108**, **अग्निशमन सेवा-101** तथा **साइबर हेल्पलाइन-1930** प्रमुख रूप से शामिल हैं।

मिशन शक्ति टीम द्वारा उपस्थित महिलाओं को **UP COP ऐप** डाउनलोड एवं उपयोग करने, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने तथा पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने तथा किसी भी प्रकार की समस्या अथवा आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा अभियान की सराहना करते हुए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जनजागरूकता प्रयासों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-912**
**दिनांक-03.06.2026**

***जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज***

- ***थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा 24 घण्टे के भीतर चोरी की घटना का किया सफल अनावरण, 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।***
- ***बाल अपचारी के कब्जे से चोरी किए गए जेवरात व ₹4.41 लाख से अधिक नकदी बरामद।***

---

**01-संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 02.06.2026 को वादी श्री नूर अहमद पुत्र अब्दुल जलील निवासी बासमंडी, थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ द्वारा थाना वजीरगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके घर में घुसकर जेवरात एवं नगद रुपये चोरी कर लिए गए हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0 134/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थाना वजीरगंज पुलिस टीम लगातार सुरागरसी एवं पतारसी में लगी हुई थी। इसी क्रम में दिनांक 03.06.2026 को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी की घटना में संलिप्त एक लड़का हाथ में गुलाबी रंग का थैला लिए जवाहर नगर की ओर से रेलवे लाइन की तरफ जा रहा है।

प्राप्त सूचना पर तत्काल थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की गई, जहां से एक बाल अपचारी (उम्र लगभग 17 वर्ष) को आज दिनांक 03.06.2026 को समय करीब 12:30 बजे रेलवे ट्रैक, जवाहर नगर क्षेत्र से संरक्षण में लिया गया।

बाल अपचारी के कब्जे/निशानदेही से चोरी की घटना से संबंधित 03 अदद सफेद धातु की बिछिया, 01 जोड़ी सफेद धातु का छोटा कंगन, 01 जोड़ी सफेद धातु का हथफूल तथा ₹4,41,070/- (चार लाख इकतालीस हजार सत्तर रुपये) नगद बरामद किए गए।

बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। बाल अपचारी को नियमानुसार पुलिस संरक्षण में लेकर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**02-सरंक्षित बाल अपचारी का विवरण-**

**01 नफर बाल अपचारी उम्र लगभग 17 वर्ष**

**03-अनावरित अभियोग का विवरण-**

1.मु0अ0सं0 134/2026 धारा 331(4)/305 BNS व बढोत्तरी धारा 317 (2) BNS थाना वजीरगंज लखनऊ

**06-बरामदगी विवरण –**

- पायल 03 अदद (सफेद धातु)
- पैर की अंगूली की बिछिया एक जोड़ी (सफेद धातु)
- छोटा कंगन 01 जोड़ी (सफेद धातु)
- हथफूल 01 जोड़ी (सफेद धातु)
- 4,41,070 /- रुपये( चार लाख इकतालीस हजार सत्तर रुपये) नगद चोरी के

**07-सरंक्षण में लेने वाली पुलिस टीम थाना वजीरगंज लखनऊ -**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना वजीरगंज कमिश्वरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री रणविजय सिंह थाना वजीरगंज कमिश्वरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री विकास बावू थाना वजीरगंज कमिश्नरेट लखनऊ
4. उ0नि0 श्री सुमित कुमार थाना वजीरगंज लखनऊ ।
5. हे0का0 उमेश चन्द्र थाना वजीरगंज लखनऊ
6. हे0का0 सुभाष चन्द्र वर्मा थाना वजीरगंज लखनऊ ।

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-914**
**दिनांक-03.06.2026**

**जोन-उत्तरी/थाना-महिगवां**

- ***थाना महिगवां पुलिस टीम द्वारा वादी के पिता की जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।***
- ***अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद धारदार बांका बरामद।***

**01-संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 31.05.2026 को वादी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री चंद्रपाल निवासी ग्राम अकड़ा गुलालपुर परगना महोना थाना महिगवां, लखनऊ द्वारा थाना हाजा पर एक किता तहरीर बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता चंद्रपाल को जान से मारने की नियत से धारदार हथियार,बांका कांता आदि मार देना जिससे पिता को गंभीर चोट आ जाने तथा अन्य परिजनो के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे दाखिल किया । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु. अ. सं. 67 / 2026 धारा 109(1), 351(3), 352 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था ।

दिनांक 03.06.2026 को थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 01 अभियुक्त पंकज कुमार गौतम पुत्र कमलेश निवासी ग्राम अकड़ा मजरा गुलालपुर थाना महिगवां लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष को अभियुक्त के घर ग्रा0 अकड़ा गुलालपुर से मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद धारदार बांका बरामद किया गया। **बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई।** गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा की कार्यवाही के दौरान मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरान्त मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

01-पंकज कुमार गौतम पुत्र कमलेश निवासी ग्राम अकड़ा मजरा गुलालपुर, थाना महिगवां, लखनऊ, उम्र करीब 20 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग

01-मु0अ0सं0 67/2026 धारा 109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 4/25 आर्म एक्ट थाना महिगवां लखनऊ।

**03- बरामदगी-**

- आला कत्ल 01 अदद धारदार बांका।

**04-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना महिगवां लखनऊः-**

1. थानाध्यक्ष श्री राधे श्याम मौर्या (टीम संचालक)
2. उ0नि0 श्री सतीश सिंह
3. उ0नि0 गौरी शंकर यादव
4. हे0का0 अंनिगपाल

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-911**

**दिनांक-03.06.2026**

***जोन- पश्चिमी/ थाना-काकोरी***

- ***काकोरी पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का किया गया सफल अनावरण।***
- ***घटना में शामिल 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।***
- ***लूट की घटना मे प्रयुक्त 01 अदद चार पहिया अल्टो कार संख्या- UP32 CX 2440 व 01 अदद पर्स व 220/- रुपये नगद व लूटे गये मोबाईल का बैक कवर व 01 अदद मोटरसाइकिल की चाभी बरामद।***

**01-सक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 31.05.2026 को वादी श्री मूलचन्द्र पुत्र कल्लू निवासी दरियापुर, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम खानपुरमऊ थाना काकोरी क्षेत्र की नहर पटरी पर समय करीब 20:30 बजे एक अल्टो कार संख्या यूपी-32-सीएक्स-2440 में सवार बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल के आगे अपनी कार लगाकर उन्हें रोक लिया तथा चाकू से भयभीत कर उनका मोबाइल फोन, पर्स, नगद रुपये, आवश्यक कागजात एवं मोटरसाइकिल की चाबी लूट ली तथा जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इसकी सूचना वादी द्वारा दिनाँक 01.06.2026 को थाना काकोरी पर दी गयी। उक्त सूचना के आधार पर दिनांक 01.06.2026 को थाना काकोरी पर मु0अ0सं0-189/2026 धारा 309(4)/351(3) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थाना काकोरी से तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमें लगातार सुरागरसी एवं पतारसी में लगी हुई थीं। इसी क्रम में मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि लूट की घटना में प्रयुक्त वाहन से संबंधित अभियुक्त ग्राम गोहरामऊ से भलिया चौराहा होते हुए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के रास्ते जनपद से बाहर भागने की फिराक में हैं।

प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा हिकमत अमली से ग्राम भलिया की ओर से आ रही अल्टो कार संख्या यूपी-32-सीएक्स-2440 को रोक लिया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वाहन में सवार दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में प्रथम व्यक्ति ने अपना नाम **अनीस पुत्र सर्वेश रावत निवासी गोहरामऊ थाना काकोरी जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 20 वर्ष** बताया। उसकी तलाशी से 01 अदद मोबाइल फोन का ग्रे रंग का बैक कवर एवं 01 अदद मोटरसाइकिल की चाबी बरामद हुई।

द्वितीय व्यक्ति ने अपना नाम **रवि पुत्र मुनेश्वर रैदास निवासी ग्राम करझन थाना काकोरी जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 21 वर्ष** बताया। उसकी तलाशी से 01 अदद पर्स तथा 220 रुपये नगद बरामद हुए।

अभियुक्तगण को दिनांक 03.06.2026 को समय करीब 02:55 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर उक्त लूट की घटना कारित करना स्वीकार किया। साथ ही अभियुक्तों द्वारा थाना मलिहाबाद क्षेत्र में एक नकबजनी की घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है।

घटना में शामिल शेष दो वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अन्य बरामदगी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**02-अपराध का उद्देश्यः-**

आर्थिक लाभ हेतु लूट करना

**03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—**

1. अनीस पुत्र सर्वेश रावत निवासी गोहरामऊ थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष
2. रवि पुत्र मुनेश्वर रैदास निवासी ग्राम करझन थाना काकोरी जनपद लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष

**04-बरामदगी का विवरणः-**

- लूट की घटना मे प्रयुक्त 01 अदद वाहन संख्या- UP32 CX 2440
- 01 अदद पर्स व 220/- रुपये नगद
- लूटे गये मोबाईल का बैक कवर
- 01 अदद मोटरसाइकिल की चाभी

**05-अनावरित अभियोग का विवरण-**

1.मु0अ0सं0 189/2026 धारा -309(4)/351(3)/317(2) बीएनएस- थाना काकोरी जनपद लखनऊ

2. मु0अ0सं0- 99/2026 धारा- 305/331(4)/317(2) बीएनएस- थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ

**06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण—**

1. उ0नि0 श्री शैलेष प्रताप सिंह थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री अंकित यादव थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 श्री मोबिन अली थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
4. कां0 धर्मेन्द्र पटेल थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
5. कां0 शिवम यादव थाना काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-910**
**दिनांक-03.06.2026**

**जोन-उत्तरी/थाना-जानकीपुरम**

➤ ***थाना जानकीपुरम पुलिस टीम नें नाबालिक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 02 नफर अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।***

**01- संक्षिप्त विवरण**

दिनांक 02.06.2026 को वादिनी द्वारा थाना जानकीपुरम पर सूचना दी गई कि उसकी लगभग 15 वर्षीय पुत्री, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, के साथ नामित अभियुक्त दिनेश तथा एक अन्य अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे एक खाली मकान में रातभर बंद रखकर दुष्कर्म किया गया। प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना जानकीपुरम पर तत्काल मु0अ0सं0-101/2026 धारा 64(2)/70(2)/127(2) बीएनएस एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट बनाम दिनेश पुत्र व पता अज्ञात तथा एक अन्य अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रभारी निरीक्षक को सुपुर्द की गई।

**02-कार्यवाही का विवरण-**

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए वादिनी एवं पीड़िता के बयान दर्ज किए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया गया।

घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा सतत सुरागरसी एवं पतारसी के दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 03.06.2026 को समय करीब 10:30 बजे थाना जानकीपुरम क्षेत्र से घटना में नामित अभियुक्त **दिनेश उर्फ महरा पुत्र स्व. छोटू निवासी शादीपुर थाना तालगांव जनपद सीतापुर, उम्र लगभग 38 वर्ष** तथा विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त **जगन्नाथ उर्फ जुम्मन पुत्र स्व. बाबू निवासी ग्राम कटरा इटारी थाना तालगांव जनपद सीतापुर, उम्र लगभग 45 वर्ष** को अन्तर्गत धारा **64(2)/70(2)/127(2) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट** में गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थानों एवं जनपदों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

**02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण**

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार करते हुए बयान अंकित कराया गया।

**03-अनावरित अभियोग का विवरण-**

01- मु0अ0स0 101/2026 धारा 64(2)/70(2)/127(2) बी0एन0एस0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना जानकीपुरम, लखनऊ।

**04-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

1. दिनेश उर्फ महरा पुत्र स्व0 छोटू निवासी शादीपुर थाना तालगांव जनपद सीतापुर उम्र करीब 38 वर्ष (व्यवसाय – मजदूरी)।
2. जगन्नाथ उर्फ जुम्मन पुत्र स्व0 बाबू निवासी ग्राम कटरा इटारी थाना तालगाँव जिला सीतापुर उम्र लगभग 45 वर्ष (व्यवसाय – मजदूरी )।

**05-अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण-**

**अभियुक्त जगन्नाथ उर्फ जुम्मन पुत्र स्व0 बाबू -**

1. मु0अ0स0-030/2019धारा 323/325/504/506 थाना खैराबाद जिला सीतापुर
2. मु0अ0स0 506/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सकरन जिला सीतापुर

**08-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना जानकीपुरम-**

1. प्र0नि0 विनोद कुमार तिवारी
2. उ0नि0 रविशंकर सिंह
3. उ0नि0 श्री सत्यपाल सिंह
4. उ0नि0 श्री चन्द्रभान गिरि
5. का0 गोविन्द सिंह

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-907**
**दिनांक-03.06.2026**

***जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा***

***हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया।***

- **अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल प्लास्टिक स्ट्रेप बरामद।**
- **पारिवारिक संबंधों एवं बहन के प्रति मृतक की कथित अनुचित हरकतों से क्षुब्ध होकर अभियुक्त ने दिया वारदात को अंजाम।**
- **मृतक को बहाने से गांव बुलाकर शराब पिलाने के बाद गला घोंटकर की गई हत्या।**
- **अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित।**
- **स्वाट/सर्विलांस टीम (डीसीपी उत्तरी) एवं थाना इटौंजा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।**

---

**01-संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 02.06.2026 को वादी श्री राम शंकर सिंह पुत्र स्व. नकछेद सिंह निवासी इन्द्रपुरी कॉलोनी, थाना मड़ियांव, लखनऊ द्वारा थाना इटौंजा पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि उनके पुत्र सचिन सिंह (उम्र लगभग 22 वर्ष) को विपक्षी द्वारा घर से बुलाकर अपने साथ ले जाया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इटौंजा पर मु0अ0सं0 79/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत कर तत्काल विवेचना प्रारम्भ की गई।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस उपायुक्त उत्तरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी तथा सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के पर्यवेक्षण में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु स्वाट/सर्विलांस टीम एवं थाना इटौंजा पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय सूचना तंत्र तथा मुखबिर की सूचना के आधार पर लगातार प्रयास किए गए।

दिनांक 03.06.2026 को प्रभारी निरीक्षक थाना इटौंजा मय पुलिस बल के साथ महोना रोड स्थित चौगवां मोड़ क्षेत्र में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त बृजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर थाना इटौंजा जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 26 वर्ष को महोना नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

**02-पूछताछ का विवरण**

गिरफ्तार अभियुक्त से की गई पूछताछ में महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए कि मृतक सचिन सिंह अभियुक्त का रिश्ते में भांजा लगता था तथा दोनों के मध्य पारिवारिक संबंध होने के कारण एक-दूसरे के घर आना-जाना था। अभियुक्त के अनुसार मृतक सचिन उसकी बहन के प्रति गलत नीयत रखता था, जिसको लेकर अभियुक्त द्वारा उसे कई बार समझाया गया था, किन्तु उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया।

**इसी बात से क्षुब्ध होकर अभियुक्त ने दिनांक 01.06.2026 को मृतक सचिन को बहाने से अपने साथ गांव अकबरपुर बुलाया। वहां अभियुक्त ने मृतक को शराब पिलाई तथा जब वह नशे की हालत में हो गया तो गांव स्थित बोरिंग के पास पड़ी प्लास्टिक की स्ट्रेप (पट्टी) से उसका गला कसकर हत्या कर दी। हत्या के उपरांत अभियुक्त ने शव को पास स्थित केले के खेत में फेंक दिया ताकि घटना को छिपाया जा सके।**

**पूछताछ के दौरान अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद प्लास्टिक स्ट्रेप (आलाकत्ल) बरामद की गई है।**

**अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।**

**03-अपराध का तरीका -**

**अभियुक्त द्वारा मृतक को विश्वास में लेकर अपने गांव बुलाया गया, शराब पिलाकर नशे की अवस्था में किया गया तथा प्लास्टिक स्ट्रेप से गला कसकर उसकी हत्या कर शव को केले के खेत में फेंक दिया गया।**

**04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–**

**01-बृजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह**
**निवासी ग्राम अकबरपुर, थाना इटौंजा, जनपद लखनऊ**
**उम्र लगभग 26 वर्ष**

**05- बरामदगी का विवरण –**

**घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद प्लास्टिक की पट्टी (स्ट्रेप)**

**06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

| **स्वाट/सर्विलांल टीम डीसीपी उत्तरी** | **थाना इटौंजा पुलिस टीम** |
|---|---|
| स्वाट/सर्विलांल टीम प्रभारी उ0नि श्री दीपक कुमार | श्री सोबरन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना इटौजा लखनऊ |
| हे0का0 अवधेश गिरी | उ0नि0 अरविन्द कुमार तिवारी थाना इटौंजा लखनऊ |
| हे0का0 नदीम | उ0नि0 संजय गुप्ता थाना इटौंजा लखनऊ |
| हे0का0 अमित कुमार गौतम | का0 3711 रवि थाना इटौंजा लखनऊ |
| का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह | |

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-916**
**दिनांक-03.06.2026**

**साईबर क्राईम सेल, हजरतगंज**

***साईबर क्राईम सेल द्वारा सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों हेतु साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके माध्यम से सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई।***

नोडल साइबर क्राइम एवं एडीसीपी क्राइम ब्रांच, कमिश्नरटे लखनऊ श्रीमती किरन यादव के पहल पर आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, कैसरबाग, लखनऊ में सिविल डिफेंस संगठन के अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों हेतु एक विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को बढ़ते साइबर अपराधों, ऑनलाइन धोखाधड़ी के नए तरीकों एवं उनसे बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा प्रतिभागियों को बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसलिए सतर्कता, जागरूकता एवं डिजिटल सुरक्षा के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।

प्रतिभागियों को डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड (Digital Arrest Fraud) के संबंध में जानकारी दी गई, जिसमें साइबर अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई, ईडी, आरबीआई अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं तथा गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर धनराशि ट्रांसफर कराने का प्रयास करते हैं। उपस्थित लोगों को बताया गया कि भारत में किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से "डिजिटल अरेस्ट" जैसी कोई वैधानिक प्रक्रिया नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड (Investment Scam) के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि साइबर अपराधी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों पर फर्जी निवेश योजनाओं का प्रचार कर लोगों को कम समय में अधिक लाभ का लालच देते हैं। प्रारंभ में कुछ लाभ दिखाकर विश्वास अर्जित किया जाता है और बाद में बड़ी धनराशि की ठगी कर ली जाती है।

कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि कुछ लोग कमीशन या लालच में आकर अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड अथवा UPI आईडी अन्य व्यक्तियों को उपयोग के लिए दे देते हैं। साइबर अपराधी ऐसे खातों का उपयोग धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। परिणामस्वरूप संबंधित खाता धारक भी पुलिस जांच एवं कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक, मोबाइल नंबर अथवा UPI आईडी किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग हेतु उपलब्ध न कराने की सलाह दी गई।

इसके अतिरिक्त फिशिंग लिंक, फर्जी कस्टमर केयर नंबर, OTP फ्रॉड, QR कोड स्कैम, सोशल मीडिया हैकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड एवं UPI धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराधों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

प्रतिभागियों को बताया गया कि साइबर अपराधी लोगों के भय, लालच एवं विश्वास का फायदा उठाकर उन्हें ठगी का शिकार बनाते हैं, इसलिए किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज, लिंक अथवा ऑनलाइन प्रस्ताव पर बिना सत्यापन के विश्वास नहीं करना चाहिए।

**साइबर सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण सुझाव**

- OTP, UPI PIN, CVV, नेट बैंकिंग पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
- किसी भी अज्ञात लिंक, QR कोड अथवा मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लिक करने से पूर्व उसकी सत्यता की जांच करें।
- वीडियो कॉल पर स्वयं को पुलिस, CBI, ED, RBI अथवा अन्य सरकारी अधिकारी बताने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें।
- अधिक लाभ या कम समय में धन दोगुना करने का दावा करने वाली निवेश योजनाओं से दूर रहें।
- अपना बैंक खाता, ATM कार्ड, UPI ID, सिम कार्ड अथवा मोबाइल नंबर किसी अन्य व्यक्ति को किराये या कमीशन पर न दें।
- सोशल मीडिया खातों पर मजबूत पासवर्ड एवं टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें।
- किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें तथा शिकायत दर्ज कराएं।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे गए, जिनका विशेषज्ञों द्वारा सरल एवं व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से उत्तर दिया गया। उपस्थित स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी बताते हुए प्राप्त जानकारी को आमजन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

अंत में सभी प्रतिभागियों से अपील की गई कि वे साइबर सुरक्षा संबंधी इस जानकारी को अपने परिवार, मित्रों, सहकर्मियों एवं समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाकर जागरूकता फैलाएं तथा सुरक्षित एवं सशक्त डिजिटल समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करें।

**— जारीकर्ता —**

**नोडल साइबर क्राइम**

**एडीसीपी क्राइम ब्रांच, लखनऊ**

# पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

**प्रेस नोट सं0-909**

**दिनांक-03.06.2026**

***जोन- उत्तरी/ थाना-अलीगंज***

- ***जान से मारने की नियत से धार दार हथियार से हमला करने वाले 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।***
- ***कब्जे से 01 अदद पिस्टल अवैध .32 बोर , 04 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।***

**01-कार्यवाही का विवरण-**

थाना स्थानीय पर दिनांक 02.06.2026 को वादी श्री यशराज सिंह पुत्र श्री वलबन्त सिंह नि0 सेक्टर बी थाना अलीगंज लखनऊ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा मेरे साथ जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला करना मारपीट करना तथा गाली गलौज करना के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ जिसके आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 095/2026 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/109/351(2) बीएनएस थाना अलीगंज जनपद लखनऊ बनाम- 1.सलमान खान 2.सौरभ यादव 3. हेमन्त वर्मा 4.आकाश बाल्मीकी 5. रितिक सिंह 6. विशाल सिंह 7. अन्य अज्ञात 7-8 व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री अनुज कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

**02-संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 03.06.2026 पुलिस टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन अभियुक्त की तलाश मे मामूर होकर कपूरथला के पास मौजूद था कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कल नगर निगम सेक्टर बी पास यूनिवर्सिटी के लड़को के साथ हुई मारपीट से सम्बन्धित अभियुक्तगण एम0जी कालोनी सेक्टर सी रेलवे लाइन की तरफ से आ रहे बाइक सवार व्यक्तियों को रोका तो भागने का प्रयास किये, पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर दोनो व्यक्तियों को मौके से पकड़ लिया।

पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से भागने का कारण व नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम **आकाश कुमार बाल्मीकी पुत्र प्रदीप बाल्मीकी नि0 636/15 प्रगति नगर तकरोही थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र 22 वर्ष** तथा दूसरे ने अपना नाम **सलमान खान पुत्र समसुल हक हाल पता फ्लैट अमलतस इंक्लेव इस्माइल गंज सेक्टर 08 मूल पता ग्राम व पोस्ट बहादुर गंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 26 वर्ष** बताया। जो मुअ0सं0 095/2026 के वांछित है। तलाशी से अभियुक्त आकाश बाल्मीकी उपरोक्त के पास से 180/- रुपये बरामद हुए तथा दूसरे अभियुक्त के पास से 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व 04 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुए।

बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। पकड़े गये व्यक्तियो को उनके द्वारा किये गये जुर्म धारा 191(2)/191(3)/115(2)/109/351(2) बीएनएस तथा 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराते हुए समय करीब 23.34 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभियक्त गण उपरोक्त के गाड़ी संख्या UP65CA3224 के बारे में पूछा गया तो अभि0 सलमान ने बताया कि यह वाहन मेरे दोस्त निशांत सिंह की है जिसे धारा 207 एमबी एक्ट में सीज किया गया।

**03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरणः-**

1.मु0अ0सं0 095/2026 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/109/351(2) बीएनएस तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीगंज लखनऊ

**04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-**

1. आकाश कुमार बाल्मीकी पुत्र प्रदीप बाल्मीकी नि0 636/15 प्रगति नगर तकरोही थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र 22 वर्ष (पढ़ाई)
2. सलमान खान पुत्र समसुल हक हाल पता फ्लैट अमलतस इंक्लेव इस्माइल गंज सेक्टर 08 मूल पता ग्राम व पोस्ट बहादुर गंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 26 वर्ष (पढ़ाई)

**05-वांछित अभियुक्तगणः-**

1. सौरभ यादव निवासी अज्ञात
2. हेमन्त वर्मा निवासी अज्ञात
3. रितिक बाल्मीकी निवासी अज्ञात
4. विशाल सिंह निवासी अज्ञात

**06-गिरफ्तार अभियुक्त सलमान खान उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-**

01.मु0अ0सं0 052/2022 धारा 147/148/149/308/325/504/506 भादवि थाना हसनगंज लखनऊ

02.मु0अ0सं0 095/2026 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/109/351(2) बीएनएस तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीगंज लखनऊ

**07-बरामदगीः-**

- 01 अदद पिस्टल अवैध .32 बोर
- 04 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर
- घटना मे प्रयुक्त 01 अदद मो0सा0 UP65CA3224

**08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

01.श्री ध्रुव कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

02.उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

03.उ0नि0 श्री मोहन सिंह थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

04.उ0नि0 श्री शुभम तिवारी थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

05.उ0नि0 श्री अभिषेक राय थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

06.का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

07.का0 अमन कुमार शुक्ला थाना अलीगंज जनपद लखनऊ